

न्यायालय:-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.-08 / 2016

संस्थित दिनांक-11.01.2016

फाईलिंग नं.-234503000092016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1. राजेन्द्र पिता पीतमसिंह मरकाम उम्र 25 साल जाति गोड,
 साकिन खुर्सीपार थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

2. पीतमसिंह पिता पोटूसिंह मरकाम उम्र 52 साल जाति गोंड,
 साकिन खुर्सीपार थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-18/05/2016 को घोषित)

1- आरोपी राजेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 तथा आरोपी पीतमसिंह के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के तहत आरोप है कि आरोपी राजेन्द्र ने दिनांक-23.12.2015 को दोपहर के 02.00 बजे थाना बिरसा के अन्तर्गत ग्राम खुर्सीपार कटरे पटवारी के घर के पास अंधी मोड़ लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50-ए/2065 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत नेहरू को टक्कर मारकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व उक्त वाहन को बिना किसी बीमा के चलाया तथा आरोपी पीतमसिंह ने उक्त वाहन को बिना किसी बीमा के चलवाया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता प्रधान आरक्षक किरण कुमार को रोजनामचा सान्हा क्रमांक-27 दिनांक-23.12.2015 जांच हेतु प्राप्त हुआ। उसने आहत नेहरू का चिकित्सीय परीक्षण कराया और साक्षियों के कथन लेख किये जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50-ए/2065 के चालक

ने तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर आहत नेहरू को टक्कर मार दी। आहत को उपचार हेतु अस्पताल लाया गया जिसके विषय में लिखित सूचना चिकित्सक द्वारा पुलिस थाना बिरसा प्रेषित की गई। उपरोक्त आधार पर अपराध क्रमांक-02/16, धारा-279, 337, 338 भा.दं.वि. एवं धारा-184, 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी राजेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 तथा आरोपी पीतमसिंह को मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत नेहरू ने आरोपीगण से राजीनामा किया। अतः आरोपी राजेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के शमनीय न होने से आरोपी राजेन्द्र के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 व मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 तथा आरोपी पीतमसिंह के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 के विरुद्ध विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी राजेन्द्र ने दिनांक-23.12.2015 को दोपहर के 02.00 बजे थाना बिरसा के अन्तर्गत ग्राम खुर्सीपार कटरे पटवारी के घर के पांस अंधी मोड लोकमार्ग पर ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50-ए/2065 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या आरोपी राजेन्द्र ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी बीमा के चलाया ?
3. क्या आरोपी पीतमसिंह ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना किसी बीमा के चलवाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— फरियादी/आहत नेहरू मेरावी (अ.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है

कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके कथन से डेढ़-दो माह पहले की है। वह ग्राम गोरखपुर से ग्राम खुर्सीपार अपनी मोटरसाईकिल से जा रहा था करीबन दो-ढाई बजे एक सफेद नीले रंग का ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50-ए/2065 सामने से आया और उसे टक्कर मार दी जिसके संबंध में उसने थाना बिरसा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस मौके पर नहीं आई थी और न ही उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। मौका नक्शा प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका आरोपीगण से बिना किसी डर दवाब के स्वेच्छापूर्वक राजीनामा हो गया है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अपनी पुलिस रिपोर्ट एवं पुलिस कथन में आरोपी के द्वारा तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रेक्टर चलाकर टक्कर मारने वाली बात बतायी थी। प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी राजेन्द्र को शमनीय प्रकृति की धारा में दोषमुक्त किया जा चुका है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा-146/196 शमनीय न होने से निर्णय किया जा रहा है। फरियादी नेहरू ने स्वयं अपनी न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि घटना दिनांक को आरोपी वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50-ए/2065 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से नहीं चला रहा था, इसलिए आरोपी राजेन्द्र द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये जाने के तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते। आरोपी राजेन्द्र को संदेह का लाभ दिया जाकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 व 3 का निष्कर्ष

6- अभियोजन साक्षी नेहरू ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक को एक सफेद रंग का ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी.50-ए/2065 ने उसे टक्कर मारी थी। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में यह नहीं कहा है कि दुर्घटना उपरोक्त वाहन से नहीं हुई थी। उपरोक्त वाहन के घटना दिनांक को बीमित होने के विषय में दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गए हैं। आरोपी राजेन्द्र ने भी यह बचाव नहीं लिया है कि वह उपरोक्त वाहन को दुर्घटना के समय नहीं चला रहा था। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित माना जावेगा कि दुर्घटना दिनांक को ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी. 50-ए/2065 को बीमा न होने पर आरोपी राजेन्द्र द्वारा चलाया गया एवं यह भी

प्रमाणित माना जावेगा कि आरोपी पीतमसिंह जो उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है, ने अपने वाहन को बिना बीमा के चलाने के लिए दिया। ऐसी स्थिति में आरोपीगण द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतएव आरोपी राजेन्द्र व पीतमसिंह को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपीगण द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-146/196 का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित पाए जाने से आरोपीगण को 200/-रुपये प्रत्येक आरोपी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपीगण को 15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

7- प्रकरण में आरोपीगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

8- प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

9- आरोपीगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

10- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर क्रमांक-एम.पी-50/ए-2065 एवं ट्राली क्रमांक-एम.पी-50- /ए-2066 सुपुर्ददार श्री दीपकुंवर धुर्वे पिता किशनसिंह धुर्वे निवासी वार्ड नं. 8 साईं नगर बैहर, थाना बैहर जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है जो उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

बैहर,
दिनांक-18.05.2016